

मिशन शक्ति फतेहगढ़ पुलिस

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन



* मिशन शक्ति 5.0 *

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0-24.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.बब्लू उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र प्रेमचन्द 2. प्रदीप कुमार पुत्र प्रेमचन्द 3. श्रीमती हीरा देवी पत्नी प्रेमचन्द निवासीगण रायपुर खास कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 3013/2007 वाद संख्या 680/2007 धारा 304बी,498ए भादवि0 3/4 डीपी एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 24.03.2026 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07-07 वर्ष कारावास की सजा व 06-06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री अनिल कुमार



को0 मो0 हे0का0 सुनील कुमार



पैरोकार - का0 श्रीकृष्ण

प्रेस नोट- कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 24.03.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से टकोरा (छोटी कुल्हाडी) से हमला करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109(1) बीएनएस से संबन्धित अभियुक्त महेश पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम रूटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. महेश पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम रूटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ ।

घटना का विवरण:- दिनांक 23.03.2026 को वादी मनोज पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी रूटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी की अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से टकोरा मार देना जिससे वादी की पत्नी के चेहरे, कंधे पर गम्भीर चोटें आयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109(1) बी0एन0एस0 बनाम महेश पुत्र गोपीचन्द्र निवासी रूटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त महेश उपरोक्त को टकोरा (छोटी कुल्हाड़ी) सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त महेश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वादी की पत्नी तथा वह तम्बाकू के गोदाम में तम्बाकू भरने का काम करते थे। पैसों के लेन-देन के विवाद में मैंने गुस्से में उसका पीछा कर कंधे पर टकोरा मार दिया था। मुझे गलती हो गयी मुझे माँफ कर दो।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक टकोरा (छोटी कुल्हाड़ी)

अभियुक्त महेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 75/26 धारा 109(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
3. का0 विनीत कुमार
4. का0 प्रवीन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।